भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या: 3420
दिनांक 7 अगस्त, 2026 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कदमत द्वीप स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का उन्नयन

+3420. श्री हमदुल्ला सईद:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार लक्षद्वीप के कदमत द्वीप स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) के माध्यम से विशेषज्ञ स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित कर उन्नत बनाने का है, ताकि द्वीप के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकें;

(ख) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई व्यवहार्यता अध्ययन कराया है अथवा कोई प्रस्ताव तैयार किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार प्रस्तावित सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के अंतर्गत सामान्य चिकित्सा, स्त्री एवं प्रसूति रोग, बाल रोग, शल्य चिकित्सा, नैदानिक सेवाएं तथा टेलीमेडिसिन जैसी विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने का है; और

(ङ) प्रस्तावित उन्नयन के कार्यान्वयन के लिए निर्धारित समय-सीमा तथा इस परियोजना के लिए कितनी निधि,यदि कोई हो, निर्धारित की गई है?

उत्तर
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) से (ङ): स्वास्थ्य राज्य का विषय है, अत: राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की मुख्य जिम्मेदारी संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तहत भारत सरकार राष्ट्रीय कार्यक्रम समन्वय समिति (एनपीसीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित समग्र संसाधन सीमा के भीतर, राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा उनकी कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआई पी) में प्रस्तुत प्रस्तावों के आधार पर, लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र सहित सभी राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों को आवश्यकतानुसार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करती है।

लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 2026-27 की कार्यक्रम कार्यान्वयन योजना (पीआई पी) में कदमत द्वीप लक्षद्वीप स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) के उन्नयन के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया है।
